भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 678
दिनांक 25 जुलाई, 2024

जीएसटी के अंतर्गत पेट्रोलियम उत्पाद

†678. **श्री दिनेश चंद्र यादव :**
श्री आनंद भदौरिया:
श्री गिरिधारी यादव:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का पेट्रोल, डीजल और एलपीजी/सीएनजी को जीएसटी के अंतर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के अंतर्गत लाने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी दिनांक-वार और प्रस्ताव-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के अंतर्गत लाने के लिए वित्त मंत्रालय की प्रतिक्रिया का प्रस्ताव-वार और दिनांक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या यह सही नहीं है कि यदि पेट्रोलियम उत्पाद जीएसटी के अंतर्गत आते हैं, तो उपभोक्ताओं के लिए उनकी कीमतें उचित और सस्ती होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ग): संविधान के अनुच्छेद 279 ए (5) में निर्धारित किया गया है कि माल और सेवा कर परिषद उस तारीख की सिफारिश करेगी जिससे पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (आमतौर पर इसे पेट्रोल के रूप में जाना जाता है), प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर माल और सेवा कर की उगाही की जाएगी। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(2) के अनुसार इन उत्पादों को जीएसटी में शामिल करने के लिए जीएसटी परिषद की सिफारिश अपेक्षित होगी। अब तक, जीएसटी परिषद, जिसमें सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है, ने इन उत्पादों को जीएसटी में शामिल करने के लिए कोई सिफारिश नहीं की है। वर्तमान में, एलपीजी जीएसटी व्यवस्था में कवर किया जाता है।

(घ) और (ड़): जीएसटी परिषद ने दिनांक 17 सितंबर, 2021 को आयोजित अपनी 45वीं बैठक में पेट्रोल/डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी व्यवस्था के अन्तर्गत शामिल करने पर विचार किया था किन्तु राज्य और केंद्र के राजकोष पर अत्यधिक बोझ पड़ने के कारण इस संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श किए जाने तक परिषद द्वारा इस मामले को आस्थगित कर दिया गया था। परिषद द्वारा उक्त बैठक के बाद आगे और विचार-विमर्श करने हेतु इस मुद्दे को कार्यसूची की मद के रूप में नहीं रखा गया है। चूंकि उपर्युक्त उत्पाद जीएसटी में कवर नहीं किए जाते है और अब तक जीएसटी परिषद द्वारा कोई सिफारिश भी नहीं की गई है, इसलिए उपभोक्ताओं पर मूल्यों के संभावित प्रभाव का आकलन करना जल्दबाजी होगी।

****